राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

क्र0सं0	योजना का नाम	**राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना**
1	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्डधारक सदस्यों के लिए मै0 न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0,मुम्बई एवं शीर्ष बैंक के मध्य दिनांक 23.05.2017 को निष्पादित समझौता अनुसार ऋणी सदस्य का रूपये 27.00 प्रीमियम राशि पर एवं अन्य का रूपये 54.00 मय सेवा कर प्रीमियम राशि पर रूपये 6.00 लाख का बीमा किया जाता है।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	2017–18
3	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग
4	पात्रता	किसान क्रेडिट कार्डधारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार।
5	देय सुविधायें	सड़क, अग्नि, रेल दुर्घटना, पानी में डूबना, ऊंचाई से गिरना, कीटनाशक या जहरीला प्रभाव, बिजली करन्ट एवं सांप काटने आदि दुर्घटना से मृत्यु होने पर 6.00 लाख रूपये तक क्षतिपूर्ति दी जाती है।
6	आवेदन का तरीका	ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।
7	आवेदन कहॉ किया जावे	सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति।
8	आवेदन के साथ औपचारिकताऐं	बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर दावेदार द्वारा अपना दावा बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दावा प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा।
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति/केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।